

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2019/II 8103

दिनांक: 06/10/2020

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत)
अजमेर, अलवर, बारां, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर,
चुरू, दौसा, धौलपुर, जयपुर,, जैसलमेर, झुंझनू, जोधपुर,
करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सीकर, श्रीगंगानगर एवं उदयपुर।

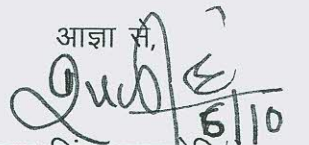
विषय:- आदर्श आचार संहिता के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 1633 दिनांक 25.09.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख कि दिनांक 07.09.2020 के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावी हो गई थी। पंच एवं सरपंच पदों के द्वितीय चरण का मतदान दिनांक 03.10.2020 को सम्पन्न हो चुका है एवं उपसरपंच का चुनाव दिनांक 04.10.2020 को सम्पन्न हो चुका है। अतः द्वितीय चरण की जिन ग्राम पंचायतों में पंच, सरपंच एवं उपसरपंच के निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, उन ग्राम पंचायतों के संदर्भ में आचार संहिता अप्रभावी घोषित की जाती है।

साथ ही तृतीय चरण का मतदान दिनांक 06.10.2020 को निर्धारित है एवं उपसरपंच का चुनाव दिनांक 07.10.2020 को निर्धारित है। अतः तृतीय चरण की जिन ग्राम पंचायतों में पंच, सरपंच एवं उपसरपंच के निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, उन ग्राम पंचायतों के संदर्भ में दिनांक 07.10.2020 को उपसरपंच के निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही आचार संहिता अप्रभावी हो जाएगी।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
सचिव